न्यायालय लैण्ड रेकर्ड ऑफिसर (उपखण्ड अधिकारी) सिरोही

बईजलास पीठासीन अधिकारी हरि सिंह देवल (आर.ए.एस.)

रा.प्रा.प.संख्या 34 / 24

प्रार्थीया	बनाम	अप्रार्थी
आशादेवी पुत्री श्री हिम्मतराम पत्नि अम्बालाल जाति रावल आयु 48 वर्ष नि. रावलों का वास, सिन्दरथ		स्टेट जरिये तहसीलदार, सिरोही

उपस्थिति :–

1– प्रार्थीया की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री विरेन्द्र एम चौहान।

2– अप्रार्थी स्टेट की ओर से पेरोकार सरकार।

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तगर्त धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम 1956 वास्ते दुरूस्त करने राजस्व रेकर्ड

आदेश

दिनांक 20.01.2025

प्रार्थीया ने जरिए अधिवक्ता यह राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तगर्त धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम 1956 वास्ते दुरूस्त करने राजस्व रेकर्ड हेतु अप्रार्थी के विरूद्ध इस न्यायालय में दिनांक 27.03.2024 को प्रस्तुत किया जिसका संक्षिप्त में विवरण इस प्रकार से है कि प्रार्थीया एवम् अन्य सहखातेदारों के संयुक्त खातेदारी मय कब्जे काश्त की कृषि भूमि मौजा सारणेश्वरजी पटवार हल्का गोयली भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र रामपुरा तहसील व जिला सिरोही में आयी हुई स्थित हैं जिसकी विगत राजस्व रेकर्ड जमाबंदी संवत् 2070–2073 के अनुसार खाता संख्या नया 34 खसरा संख्या 158 रकबा 0.7100 हैक्टयर, खसरा संख्या 159 रकबा 0.7400 हैक्टयर, खसरा संख्या 160 रकबा 0.1700 हैक्टयर व खसरा संख्या 182 रकबा 1.0700 हैक्टयर कुल किता 4 कुल रकबा 2.6900 हैक्टयर है। उपरोक्त वर्णित आराजी में राजस्व रेकर्ड अनुसार खातेदार मुस्मात पुत्री हिम्मतराम दर्ज है जो नामान्तरकरण दर्ज करते समय राजस्व कर्मचारीयों की भूल व त्रुटिवश खातेदार आशादेवी पुत्री हिम्मतराम के स्थान पर मुस्मात पुत्री हिम्मतराम का इन्द्राज कर दिया है । जबकि प्रार्थीया के समस्त दस्तावेजात आधार कार्ड, राशन कार्ड, वोटर कार्ड, जनआधारा कार्ड, भामाशाह कार्ड, राश्न कार्ड व बैंक खाता आशादेवी पुत्री हिम्मतराम के नाम से बने हुए है । उपरोक्त वर्णित आराजी में खातेदार आशादेवी पुत्री हिम्मतराम के स्थान पर मुस्मात पुत्री हिम्मतराम का इन्द्राज राजस्व रेकर्ड में राजस्व कर्मचारियों की भूल व त्रुटिवश दर्ज हुआ है। राजस्व अधिकारियों व कर्मचारियों की लापरवाही व भूल से राजस्व रेकर्ड में आशादेवी पुत्री हिम्मतराम के स्थान पर मुस्मात पुत्री हिम्मतराम के नाम का गलत इन्द्राज कर देने से प्रार्थी को अकारण परेशानी का सामना करना पड रहा हैं । जिससे यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का कारण पैदा हुआ है।

अतः निवेदन किया है कि प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार फरमाया जाकर मौजा सारणेश्वरजी पटवार हल्का गोयली भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र रामपुरा तहसील व जिला सिरोही के खाता संख्या नया 34 खसरा संख्या 158 रकबा 0.7100

हैक्टयर, खसरा संख्या 159 रकबा 0.7400 हैक्टयर, खसरा संख्या 160 रकबा 0.1700 हैक्टयर व खसरा संख्या 182 रकबा 1.0700 हैक्टयर कुल किता 4 कुल रकबा 2.6900 हैक्टयर खातेदार का नाम गलत इन्द्राज मुस्मात पुत्री हिम्मतराम के स्थान पर सही नाम आशादेवी पुत्री हिम्मतराम का इन्द्राज कर राजस्व रेकर्ड में दुरुस्त करने का निवेदन किया है।

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र के संलग्न फार्म नंबर 3 मे वर्णित राजस्व नवीन खाता संख्या जमाबंदी संवत् 2070–2073 के अनुसार खाता संख्या खाता संख्या नया 34 खसरा संख्या 158 रकबा 0.7100 हैक्टयर, खसरा संख्या 159 रकबा 0.7400 हैक्टयर, खसरा संख्या 160 रकबा 0.1700 हैक्टयर व खसरा संख्या 182 रकबा 1.0700 हैक्टयर कुल किता 4 कुल रकबा 2.6900 हैक्टयर व प्रार्थीया आधार कार्ड, पेन कार्डकी प्रति का अवलोकन करने पर प्रार्थना पत्र मे अंकित तथ्यों से यह न्यायालय प्रथम दृष्टयॉ आश्वस्त होने से दिनांक 02–04–2024 को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जवाब प्रस्तुत करने हेतु नोटिस जारी किये गये जिस पर अप्रार्थी संख्या 1 को नोटिस तामिल होकर प्राप्त होने से शा.मि. किया गया ।

प्रकरण में इस न्यायालय की सूनवाई दिनांक 20–01–2025 को अप्रार्थी संख्या 1 स्टेट की ओर से तहसीलदार सिरोही ने जरिये पत्र क्रमांक कोर्ट / 2025 / 20 दिनांक 09–01–2025 को जवाब प्राप्त होने से शा.मि. किया गया ।

अप्रार्थी संख्या 1 स्टेट तहसीलदार सिरोही ने अपने जवाब मे कथन किया है कि भू. प्रबंध कार्यवाही के दौरान मौजा सारणेश्वरजी में खातेदार हिम्मतराम पुत्र हिन्दु कौम रावल की मृत्यु होने पर उनके विरासत का नाम.करण दायर किया गया। उक्त विरासत का नामान्तरकरण संख्या 161 दिनांक 03–06–2000 स्वीकृत होने से उनके उतराधिकारी तीन पुत्र (जगदीश कुमार, आशोक कुमार, राजेन्द्र कुमार) चार पुत्रियां (शकुन्तला, दारमी, विद्या, आशा) व पत्नि हंजाबाई रेकर्ड जमाबंदी में दर्ज हुए। गत खसरा नम्बर 90 / 8 मी., 90 / 08 / 5 रकबा क्रमशः10 बीधा, 6 बीधा 12 बिस्ता कुल किता 2 कुल रका 16 बीधा 12 बिस्वा के नये खसरा नम्बर 158, 159, 160 व 182 कुल रकबा 2.6900 हैक्टयर बने। भू प्रबंध कार्यवाही के बाद बनने वाला अभिलेख मिसल बंदोबस्त में प्रार्थीया आशादेवी का नाम लीपिकीय त्रृटि से छुट गया एवं मात्र मुस्मात ही दर्ज किया गया। नामान्तरकरण संख्या 161 के अनुसार हिम्मतराम की पुत्री का नाम मुस्मात नही है अर्तात् उक्त गलत दर्ज हुई जिसको हटाया जाना आवश्यक है। अतः मौजा सारणेश्वरजी पटवार हल्का गोयली भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र रामपुरा तहसील व जिला सिरोही के खाता संख्या नया 34 खसरा संख्या 158 रकबा 0.7100 हैक्टयर, खसरा संख्या 159 रकबा 0.7400 हैक्टयर, खसरा संख्या 160 रकबा 0.1700 हैक्टयर व खसरा संख्या 182 रकबा 1.0700 हैक्टयर कुल किता 4 कुल रकबा 2.6900 हैक्टयर खातेदार का नाम गलत इन्द्राज मुस्मात पुत्री हिम्मतराम के स्थान पर सही नाम आशादेवी पुत्री हिम्मतराम दर्ज किया जाना उचित है ।

विचाराधीन प्रकरण की पत्रावली इस न्यायालय मे दिनांक 20–1–2025 को अंतिम बहस मे रखी गई जिस पर वकील प्रार्थी व अप्रार्थी स्टेट की ओर से पैरोकार सरकार ने हाजिर होकर अंतिम बहस करने से अंतिम बहस सुनी गई । हमने प्रकरण में

न्यायालय ... सिरोही (राज.)
सत्यमेव जयते

वकील प्रार्थी व पेरोकार सरकार की अंतिम बहस पर गंभीरता से मनन किया । विचाराधीन प्रकरण की सम्पूर्ण पत्रावली मय प्रार्थना पत्र,जवाब व राजस्व रेकर्ड की प्रतियों का भी गहनतापूर्वक अवलोकन कर उस पर भी मनन किया । सम्पूर्ण प्रकरण के विवेचन के उपरान्त प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत यह प्रार्थना–पत्र अ.धारा 136 एल.आर एक्ट का स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है एवं अप्रार्थी तहसीलदार सिरोही (भूमिधारी अधिकारी) को आदेश दिया जाता है कि मौजा मौजा सारणेश्वरजी पटवार हल्का गोयली भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र रामपुरा तहसील व जिला सिरोही के खाता संख्या नया 34 खसरा संख्या 158 रकबा 0.7100 हैक्टयर, खसरा संख्या 159 रकबा 0.7400 हैक्टयर, खसरा संख्या 160 रकबा 0.1700 हैक्टयर व खसरा संख्या 182 रकबा 1.0700 हैक्टयर कुल किता 4 कुल रकबा 2.6900 हैक्टयर खातेदार का नाम गलत इन्द्राज मुस्मात पुत्री हिम्मतराम के स्थान पर सही नाम आशादेवी पुत्री हिम्मतराम का इन्द्राज कर राजस्व रेकर्ड दुरूस्त कर पालना से न्यायालय को अवगत करावें । निर्णय सरे ईजलास सुनाया गया । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(हरि सिंह देवल, आर.ए.एस.)
लैण्ड रेकर्ड ऑफिसर (एस.डी.ओ.)
सिरोही

लैण्ड रेकार्ड ऑफिसर
(उपखण्ड अधिकारी)
सिरोही (राज०)

न्यायालय लैण्ड रि. ऑफिसर सिरोही (राज.)
सत्यमेव जयते

उपरोक्त निर्णय आज दिनांक 20–01–2025 को मेरे हस्ताक्षर ,पदनाम व न्यायालय की गोल मुहर से जारी किया गया ।

लैण्ड रेकर्ड ऑफिसर (एस.डी.ओ.)
सिरोही

लैण्ड रेकार्ड ऑफिसर
(उपखण्ड अधिकारी)
सिरोही (राज०)